न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

प्रकरण संख्या 21/23 दायरा दिनांक 11/10/2023

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. कन्हैयालाल पुत्र गज्जू उम्र 48 वर्ष जाति जाटव निवासी बीची तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. भागवती पुत्री गज्जू पत्नि जगदीश उम्र 39 वर्ष जाति जाटव निवासी बीची हाल निवासी धतूरीया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3. कसूमल पुत्री गज्जू पत्नि कन्हैयालाल उम्र 35 वर्ष जाति जाटव निवासी बीची हाल निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– प्रार्थीगण

–: बनाम :–

1. उप वन संरक्षक, बारां जिला बारां राजस्थान
2. क्षेत्रिय वन अधिकारी केलवाडा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. 1955

निर्णय दिनांक– 24.05.2024

उपस्थित – प्रार्थीगण की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

अप्रार्थीगण की ओर से – स्वयं उपस्थित

प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मझेरा पटवार क्षेत्र बीची तहसील शाहाबाद के खाता संख्या नया 3 पुराना 3 में प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 8/5 रकबा 10.00 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ स्थित है, जिसे प्रार्थनापत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी होकर राजस्व खाते तथा कब्जे काश्त की है, जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों कें समय से निरन्तर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। जिसमें दखलन्दाजी करने का अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खाते तथा कब्जे काश्त की उक्त विवादित कृषि भूमि को वन विभाग की भूमि बतलाकर प्रार्थीगण को उक्त विवादित आराजी से बेदखल करने को आमादा हैं और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे हैं, जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैधनिक हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की उक्त विवादित कृषि भूमि को वन भूमि बतलाते हुये तथा इस भूमि पर प्रार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी दर्शाते हुये प्रकरण संख्या 2538/22 दर्ज कर प्रार्थीगण को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिया है, जिसकी आढ में प्रार्थीगण को पुश्तैनी कब्जे काश्त की उक्त विवादित खातेशुदा कृषि भूमि पर से बेदखल करने को आमादा हो रहे हैं तथा प्रार्थीगण को खुलेआम एलानियां

24.05.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

धमकी दी है कि यदि प्रार्थीगण ने उक्त विवादित आराजी को हांकने फसल बोने अथवा काश्त करने का प्रयास किया तो वे प्रार्थीगण की फसल को नष्ट कर देंगे और प्रार्थीगण को जेल भेज देंगे। अप्रार्थीगण की उक्त धमकी व कृत्य से प्रार्थीगण के पुश्तैनी खाते तथा कब्जे काश्त की उक्त विवादित कृषि भूमि को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है तथा काश्त नहीं करने देने से प्रार्थीगण परिवार के भूखो मरने की नौबत आ गई है। इस कारण प्रार्थीगण विरुद्व अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी व नालिशी हैं। इस हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश है। यदि अप्रार्थीगण को शीघ्र ही अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के ही खाते व कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी में फसल बोने से वंचित कर देंगे, जिससे प्रार्थीगण परिवार के भूंखों मरने की नौबत आ जावेगी। प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं हो सकेगा। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पबन्द फरमावें कि वे प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 8/5 रकबा 10.00 बीघा ग्राम मझेरा पटवार हल्का बीची तहसील शाहावाद बावत प्रार्थीगण के स्वतंत्र कब्जे–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें, न अन्य से करावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो श्रीमान मुनासिब समझे प्रार्थीगण को प्रदान की जावें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रथम सुनवाई दिनांक 02.11.23 को अप्रार्थी कम 1 व 2 स्वयं उपस्थित हुये और जबाव पेश करने हेतु अवसर चाहा, इसके बाद अप्रार्थीगण के लगातार अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय सुनवाई की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम मझेरा संवत 2074 से 2077 में आरजी खसरा नंबर 8/5 रकबा 10.00 बीघा प्रार्थीगण के रिकार्डेड खातेदारी की हैं, उक्त भूमि नक्शे में तरमीम है, जिसमें अप्रार्थीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से तथा कोई जबाव पेश नहीं करने से प्रार्थनापत्र के तथ्य स्वयंसिद्व हैं और प्रार्थनापत्र प्रथम दृष्टया सावित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 व 2 को मूल वाद के निर्णय होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा संख्या 8/5 रकबा 10.00 बीघा ग्राम मझेरा तहसील शाहावाद प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करेंगे और प्रार्थीगण को निर्विघ्न काश्त करने दें। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.05.2024 को सरे, इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो।

24.05.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Raj Mahal
Record File No. 100